



फार्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }
Form III { see Regulation 7 (1) D (d) }

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस LICENCE FOR THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. ईएम/L-6000035.5
Licence No. EM/L-6000035.5

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants/renews to

वासवदत्ता सिमेंट (प्रो. केसोराम इंडस्ट्रीस लि.) Vasavasatta Cement (Prop. Kesoram Industries Ltd)
लक्ष्मीनारायण नगर, पो. सेडम, Laxminarayan Nagar, P.O. Sedam,
जिला गुल्बर्गा - 585 222, कर्णाटक. Dist. Gulbarga - 585 222, Karnataka.

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर(रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदत्त/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा **IS/ISO 14001:2004** के अनुरूप पर्यावरण प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Environmental Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Environmental Management Systems in accordance with **IS/ISO 14001:2004**.

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध में प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/ नवीकृत किया गया और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

3. यह लाइसेंस **31 अक्टूबर 2015** से **30 अक्टूबर 2018** तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from **31 October 2015** to **30 October 2018** and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2015 के अक्टूबर माह के 27 दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and Dated this 27th day of October 2015.

ई. देवेन्द्रर/E. DEVENDAR

वैज्ञानिक 'जी' एवं उप महानिदेशक (दक्षिण क्षेत्र) जी एवं उप महानिदेशक (दक्षिणी क्षेत्र)

Scientist "G" & Deputy Director General (South) कृते भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो

Bureau of Indian Standards for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

चे. ई. देवेन्द्रर/Ch. E. Devendar

